

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

30/2019/प्रा.पत्र/2019

14.05.2024

तारीख निर्णय

08.11.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री रामलाल जाट पुत्र श्री छोटूलाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट छाण तह. व
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स होटल गढवाल छाण बाईपास एनएच-12 तह. व जिला टोंक
राज.। पिनकोड-304001

2-मैसर्स होटल गढवाल छाण बाईपास एनएच-12 तह. व जिला टोंक राज.।
पिनकोड-304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 08.11.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2019 को समय 01:15 पीएम पर मैसर्स होटल गढवाल छाण बाईपास एनएच-12 तह. व जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री रामलाल जाट पुत्र श्री छोटूलाल जाट अपने प्रतिष्ठान मैसर्स होटल गढवाल छाण बाईपास एनएच-12 तह. व जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री रामलाल जाट पुत्र श्री छोटूलाल जाट को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामलाल जाट पुत्र श्री छोटूलाल जाट ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ एक ट्रे में लगभग 12-13 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री रामलाल जाट पुत्र श्री छोटूलाल जाट को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री रामलाल जाट एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **पनीर** वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, प्रतिष्ठान में ट्रे में रखे **पनीर** में से 1 किलोग्राम **पनीर** खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **पनीर** को हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर-बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर शिशियों के ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2128 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-2128 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/759 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/430/एक्ट/2019 /243 दिनांक 06.03.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्य किया गया **पनीर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री शिवराज चांगल ने दिनांक 26.09.2019 को वकालतनामा पेश किया एवं जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा परन्तु अभिभाषक को कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और न ही बहस हेतु उपस्थित हुए। अप्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित रहें। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पनीर** का विक्रय कर रहे थे वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **पनीर** जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक



भातेरिक्त जिला माजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने परोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया पनीर का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र लिखा जावे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.11.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सोकरिया)
न्यायाधीश एवं अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0